कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक/2892/न्या.लि./कोरोना/2020 रायगढ़, दिनांक 23/03/2020

प्रति,

आयुक्त महोदय,
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
छत्तीसगढ़

विषयः— नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के विस्तार की रोकथाम हेतु शासन के समस्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों पर की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत्।

संदर्भः— आपका पत्र क. 757/विकास—1/2020 बिलासपुर दिनांक 23.03.2020

——00——

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को Global Health Emergency घोषित किया गया है, तत्संबंध में भारत सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के तहत नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देश एवं एडवाजरी के परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही किये गये हैं:—

1. जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला रायगढ़ द्वारा कार्यालयीन आदेश क. 2857/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.03.2020 को द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगरीय क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में दिनांक 19.03.2020 को 05 अप्रैल या आगामी आदेश तक धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया।
2. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला रायगढ़ की अध्यक्षता में दिनांक 17.03.2020 को जिले के समस्त प्रबंधक ट्रस्ट एवं मंदिर के संचालकों को उक्त दिनांक में आहूत कर बैठक की गई, जिसमें सर्व संबंधित के सहमति एवं निर्णय के साथ निर्देशित किया गया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित न हो, भंडारा न हो, मेला का आयोजन न हो निर्देशित किया गया, जिसका सर्व संबंधित सार्वजनिक एवं धार्मिक ट्रस्ट द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।
3. जिला रायगढ़ में (COVID-19) संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ की अध्यक्षता में जिला कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है, इसके अतिरिक्त सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रायगढ़ जिला की अध्यक्षता में उप खण्ड स्तरीय कोर कमेटी की भी गठन की गई है, जो संक्रमण के रोकथाम हेतु विकासखण्ड में निगरानी, जागरूकता, प्रवर्तन अन्य संकमित राज्य एवं विदेशों से आने वाले लोगों की पहचान एवं विभिन्न स्तर पर होने वाली गतिविधियों का सतत् निगरानी/नियंत्रण/समन्वय का कार्य करते हुए जिला कोर कमेटी को प्रतिदिन प्रतिवेदन से अवगत करा रही है। इसी प्रकार सरपंच, पटवारी, सचिव, रोजगार सहायक अन्य की भी ग्राम स्तरीय सूचना प्रदाता कमेटी की भी गठन की गई है, जो उक्त संक्रमण के बचाव एवं नियंत्रण हेतु जन—जागरूकता, प्रचार—प्रसार एवं मुनादी के माध्यम से कोरोना प्रभावित क्षेत्रों से आने—जाने वाले लोगों एवं संदिग्ध मरीजों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के कार्य किये जा रहे हैं साथ ही कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के समस्त चिरायु दल संदिग्ध मरीज एवं उनके संपर्क में आये लोगों का कान्टेक्ट ट्रेसिंग के साथ—साथ मैदानी क्षेत्र में जन जागरूकता एवं प्रचार—प्रसार का कार्य कर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।

23/3/2020

4. जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन निर्देश के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ द्वारा प्रेस कान्फ्रेन्स के माध्यम से जन साधारण को आवश्यक जानकारी एवं दिशा–निर्देश दिये गये।
5. जिले में नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु शासन निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जन साधारण से माननीय सांसद, माननीय विधायक गण एवं अन्य माननीय जन प्रतिनिधी गणों से आगामी आदेश पर्यन्त तक सामूहिक रूप से भेंट न करने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़, सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा0) रायगढ़, आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़, सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिक परिषद एवं नगर पंचायत, रायगढ़ जिला को कार्यालयीन पत्र क. 2856/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 19.03.2020 को निर्देशित किया गया।
6. शासन द्वारा जारी पत्र क. एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.03.2020 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ द्वारा कार्यालयीन आदेश क. 2867/न्या.लि./2020 रायगढ़ दिनांक 22.03.2020 को नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जिला रायगढ़ के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र में दिनांक 31.03.2020 तक अनिवार्य रूप से बंद (LOCKDOWN) रखने हेतु आदेशित किया गया है।
7. माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के परिपालन में राज्य शासन द्वारा वेबसाईट तैयार की गई है, जिसपर कोरोना वायरस नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु महत्वपूर्ण दिशा–निर्देश एवं एडवाजरी, पुख्ता एवं सटीक जानकारी का संकलन उपलब्ध है, जिसे वेबसाईट gad.cg.gov.in/corona में देखने हेतु सर्व विभाग प्रमुख एवं सर्व जन–साधारण से कार्यालयीन आदेश क. 2868/न्या.लि./कोरोना 2020 दिनांक 22.03.2020 के द्वारा अपील की गई है।
8. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ द्वारा कार्यालयीन पत्र क. 2765/वित्त –लेखा/2020 दिनांक 18.03.2020 द्वारा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, के निर्देश के अनुरूप नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु विभिन्न विभाग के समस्त अधिकारी/कर्मचारी को 31 मार्च 2020 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के बिना पूर्वानुमति के अवकाश पर प्रस्थान न करने हेतु निर्देशित किया गया है।
9. जिला चिकित्सालय में संभावित संक्रमित व्यक्तियों के उपचार हेतु **30** बिस्तर आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई है।
10. एम.सी.एच. बिल्डिंग में **30** बिस्तर एवं जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों में 40 बिस्तर कोरेन्टाईन असंक्रमित व्यक्तियों हेतु व्यवस्था की गई है।
11. आपातकालीन स्थिति में **14** व्हेन्टीलेटर एडल्ट एण्ड पीडीएट्रिक व्यवस्था की गई है। निजी अस्पताल में 17 व्हेन्टीलेटर एडल्ट एण्ड पीडीएट्रिक व्यवस्था की गई है।
12. रेल्वे स्टेशनों में हेल्प डेस्क के माध्यम से सुविधा प्रदान की जा रही है।
13. अंतर्राज्यीय यात्रा किये गये व्यक्तियों जिनका विगत 01 सप्ताह के भीतर जिले में आगमन हुआ है, की संख्या **1206** है, जिनमें सामान्य सर्दी, खांसी के **01** मरीज हैं, जिनको उपचार उपरांत आवश्यक दवाईयां दी गई एवं सुरक्षा दृष्टिकोण से होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है। (चूंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा किये व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आया है।)
14. आज दिनांक तक जिले से 03 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों के सेंपल जांच हेतु भेजे गये हैं, जिनमें से 01 सेम्पल अनुपयोगी एवं 02 सेंपल नेगेटिव पाया गया है।
15. कोरोना वायरस से संबंधित समस्त जानकारी हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में किया गया है।
16. विडियो कान्फ्रेन्स के माध्यम से समस्त विकासखण्डों के खण्ड चिकित्सा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।
17. मास्क की कालाबाजारी की शिकायत प्राप्त होने पर **आदित्य मेडिकल स्टोर रायगढ़** के यहां आकस्मिक निरीक्षण किया गया जहां पर मास्क के एम.आर.पी. दर से अत्यधिक दर पर बिक्री किया जा रहा था, जिसमें पुनरावृत्ति के दृष्टिकोण से लायसेंस निरस्त करने के हिदायत दिया गया है।

18. कार्यालय कलेक्टर जिला–रायगढ़ द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये रायगढ़ के लिए श्री युगल किशोर उर्वशा, डिप्टी कलेक्टर रायगढ़ को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
19. कार्यालय कलेक्टर जिला–रायगढ़ द्वारा नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण दृष्टिगत रखते हुये आगामी आदेश तक राजस्व प्रकरणों की सुनवाई स्थगित रखा गया है।
20. कार्यालय कलेक्टर जिला–रायगढ़ द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये जिले के शासकीय कार्यालयों में कोरोना वायरस से निपटने में शामिल विभागों के कार्यालय नियमित खुला रखने एवं अधिकारी एवं कर्मचारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु आदेशित किया गया है।
21. कार्यालय श्रम पदाधिकारी द्वारा श्रमिकों/कर्मचारियों आदि को वेतन, अवकाश एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने बाबत् शासन अनुदेश को समस्त नियोजक कारखाना/प्रतिष्ठान रायगढ़ जिला की ओर प्रेषित कर शासनादेश के निर्देश का पालन किया जा रहा है।
22. कार्यालय शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा शासन निर्देशानुसार समस्त शैक्षणिक संस्था 31.03.2020 तक संचालित नहीं हो रहे हैं।
23. छ.ग. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त समस्त देशी मदिरा (सी.एस.–2 घ) विदेशी मदिरा (एफ.एल.–1 घ एवं एफ.एल.–3 होटल बार) दुकानें तथा भण्डारण भाण्डागार को पूर्ण रूप से बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित कर मदिरा विक्रय/परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
24. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज सभी गर्भवती माताओं तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों को गर्म भोजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्रमशः 750 ग्रा. एवं 125 ग्रा. प्रतिदिन प्रति हितग्राही के मान से रेडी–टू–ईट टेक–होम राशन पद्धति से 02–02 सप्ताह का एक साथ वितरण सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया है।
25. जिला परिवहन अधिकारी रायगढ़ द्वारा शासन निर्देश के तहत नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) को दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु लोकहित में अंतर्राज्यीय तथा छ.ग. राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान/टेक्सी/ऑटो/ई–रिक्शा को आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है।
26. जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में दिनांक 31 मार्च 2020 तक खाद्यान्न/राशन सामग्री का वितरण आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से न करते हुये टेबलेट में हितग्राहियों का फोटो लेकर अथवा ओ.टी.पी. के माध्यम से किये जाने एवं सार्वजनिक वितरण प्रमाणी में अन्त्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराधित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को माह अप्रैल 2020 तथा माह मई 2020 का चावल का एकमुश्त वितरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
27. आबकारी विभाग जिला–रायगढ़ द्वारा जिले में संचालित समस्त सिनेमागृहों को दिनांक 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)